

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

पत्रांक:- ४३ / प्र० स० को०

दिनांक:- 29/11/2016

प्रेषक,

निधि खरे, भा०प्र०स०,
सरकार के प्रधान सचिव।

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
झारखण्ड, राँची।

राणी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक 02.12.2016 को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय प्रांगण में सभी
पदाधिकारियों/कर्मचारियों को "कैशलेस झारखण्ड अभियान" पर
माननीय मुख्य मंत्री का संबोधन।

महाशय,

संपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखण्ड राज्य को
कैशलेस बनाने हेतु दिनांक 02.12.2016 से "कैशलेस झारखण्ड अभियान" प्रारंभ किया
जायेगा। उक्त अभियान पूरे राज्य में 10.12.2016 तक चलेगा। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा
इस संबंध में दिनांक 02.12.2016 को राँची जिले के नगड़ी प्रखण्ड मुख्यालय में कैम्प
प्रारंभ किया जायेगा।

इसी क्रम में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 02.12.2016 को आपराह्न
02.00 बजे प्रोजेक्ट भवन सचिवालय प्रांगण में सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को
"कैशलेस झारखण्ड अभियान" विषय पर संबोधित किया जायेगा।

अनुरोध है कि उक्त तिथि एवं समय पर प्रोजेक्ट भवन सचिवालय प्रांगण
में अपनी उपरिथिति एवं आपके अधीन विभाग में कार्यरत सभी पदाधिकारियों एवं
कर्मचारियों की उपरिथिति सुनिश्चित करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन,

(निधि खरे 29/11/16)

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- ३७२४

राँची/दिनांक- 01-12-16

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के प्रधान आप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/अभियंता
प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग, राँची/राँची स्थित सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)/मुख्य
अभियंता योजना मोनेटरिंग एवं आयोजन जल संसाधन विभाग राँची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप
सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशास्त्री पदाधिकारी/सभी सहायक एवं अन्य सभी कर्मी/वेब मैनेजर जल
संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव